राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः– प.2(1)साप्र/2/2023 पार्ट–1/01124 जयपुर, दिनांक : 20-02-2024

–: आदेश :–

श्री गुरूशरण वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर, इनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयता संख्या 42/2017 व सेवानिवृत्ति दिनांक 28.02.2025 है, को राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम 11(III)ए के प्रावधानानुसार राजकीय आवास संख्या II/19, गांधीनगर, जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता हैः–

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के, आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
    2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष मे जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
11. श्री गुरुशरण वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–द्वितीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करें।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

RajKaj Ref
5719936

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation: Deputy Secretary
Date: 2024.02.20 17:10:50 IST
Reason: Approved